

कृषि निदेशालय, बिहार

आ0 संख्या-6/स्था0अन्य-21/15

/कृ0, पटना, दिनांक

, 2015

निबंधित

ई-मेल

आदेश

श्री विजय कुर्वर सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बड़हरा, आरा के अनाधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थित रहने, कृषि विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने का आरोप जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर, आरा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। श्री सिंह के अनुपस्थित रहने के कारण कृषि विभागीय योजनाओं का कार्य बाधित हुआ है। प्रतिवेदित आरोपों से यह स्पष्ट होता है कि श्री विजय कुर्वर सिंह का उक्त आचरण घोर लापरवाही को दर्शाता है एवं यह बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 (3) के प्रतिकूल है।

2. उक्त के आलोक में श्री विजय कुर्वर सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बड़हरा, आरा को बिहार सरकारी (सेवा नियंत्रण एवं अपील), 2005 के नियम (9) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय, संयुक्त निदेशक कार्यालय (शष्य) पूर्णियाँ निर्धारित किया जाता है।
4. निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

ह0/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक --

कृ0, पटना, दिनांक-

, 2015

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा/संयुक्त निदेशक (शष्य), पटना/पूर्णियाँ/जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर, आरा/पूर्णियाँ/जिला कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर, आरा/पूर्णियाँ/प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़हरा, भोजपुर/ श्री विजय कुर्वर सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बड़हरा, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

532

कृ0 / पटना, दिनांक 25.5.2015

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग को विभागीय वेब साइट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।